डिकी मुकदमा इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम
पीठासीन अधिकारीः– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

1. रामेश्वर पुत्र विशनलाल मीना
2. रामराज पुत्र विशनलाल मीना

निवारी भोटवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(वादी)

बनाम

तहसीलदार टोडाभीम।

(प्रतिवादी)

दावा बावत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती

मु0न0 22/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट मिनकानिब गुदई रूबरू पैरोकार सरकार हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है। कि

अतः वादी का दावा बावत इन्द्राज दुरूस्ती डिकी किया जाता है। ग्राम भौटवाडा की जमाबन्दी सम्वत 2074–77 मे खाता संख्या 313, 314, 316, 317, 318, 273, 274, 46, 86, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288 मे रामेश्वर, रामराज पि0 किशनलाल जाति मीना के स्थान पर रामेश्वर, रामराज पि0 विशनलाल जाति मीना दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टोडाभीम राजस्व रिकार्ड मे अंकन करे।

निज.....................मुबलिंग...........................बाबत.........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरहे.................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक...............अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 29.10.2020 को जारी की गई।

29/10/2020
(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज०

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

...– 22 / 2020 तारीख रजू– 02.03.2020

पीठासीन अधिकारी – दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

1. रामेश्वर पुत्र विशनलाल मीना
2. रामराज पुत्र विशनलाल मीना
   निवासी भौटवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(वादी)

बनाम

तहसीलदार टोडाभीम।

(प्रतिवादी)

दावा बावत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती
उपस्थितिः– श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट (वादी)
पैरोकार सरकार (प्रतिवादी)

निर्णय दिनांकः– 29.10.2020

वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम भौटवाडा की जमाबन्दी ...वत 2074–77 के खाता संख्या 273, 282, 277, 280, 274, 284, 285, 283, 286, 278, 317, 281, 287, 86, 318, 288, 313, 314, 315 मे वादीगण के पिता का नाम विशनलाल के ...न पर किशनलाल दर्ज हो गया है। वादीगण के समस्त दस्तावेज व पुराने रिकार्ड मे ...नलाल ही दर्ज है। साबिक रिकार्ड पास बुक मे भी सही अंकन है। समस्त आराजीयात का ...वेवत बटवारा होकर अलग–अलग खोदारी हो चुकी है कुछ आराजी शामलाती दर्ज है। ...दीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड मे विशनलाल के स्थान पर किशनलाल दर्ज हो ...ा है। जिससे आयेदिन वादीगण को परेशानी का सामना करना पड रहा है। जबकि ...दीगण के समस्त दस्तावेजात परिचयपत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड मे वादीगण के पिता का ...न विशनलाल ही दर्ज है।

वादीगण द्वारा अपनी आराजी पर बैक ऋण लेने के लिये पटवारी हल्का से के.सी. ... की फाईल तैयार करवाली तथा पत्रावली को बैक मे ले गया तो मेनेजर ने कहा कि ...हारे दस्तावेज राजस्व रिकार्ड से मेल नही खाते है। इसलिये पहले राजस्व रिकार्ड मे पिता ... नाम दुरूस्त करवाओ इस पर वादीगण तहसीलदार टोडाभीम से मिला तथा पिता का नाम ...जस्व रिकार्ड मे दुरूस्त कराने के लिये कहा तो उन्होने सक्षम न्यायालय से आदेश लाने के ...ये कहा, इसलिये यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर ग्राम भौटवाडा की ...राजी खाता संख्या 313, 314, 316, 317, 318, 273, 274, 46, 86, 277, 278, 280, 281, ...2, 283, 284, 285, 286, 287, 288 मे वादीगण के पिता का नाम किशनलाल के स्थान पर ...शनलाल फरमाने के आदेश किया जावे।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला–करौली

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी र सरकार ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया कि ग्राम भौटवाडा की साविक जमाबन्दी 2026–29 के खाता संख्या 73, 74, 75, 77, 78, 159, 166, पर अंकित नोट करण संख्या 201 से विशनलाल की विरासत के नामांतकरण से रामेश्वर, रामराज पि. लाल आया है। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2074–77 मे खाता संख्या 313, 314, 316, 317, 273, 274, 46, 86, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288 मे र रामराज पि0 किशनलाल जाति मीना दर्ज रिकार्ड है। नवीन चौसाला जमाबन्दी बनाते लिपिकीय भूल से विशनलाल के स्थान पर किशनलाल दर्ज हो गया है जो आज तक आ रहा है। साविक रिकार्ड के अनुसार नवीन राजस्व रिकार्ड मे रामेश्वर रामराज पि0 नलाल के स्थान पर रामेश्वर रामराज पि0 विशनलाल दर्ज किया जाना न्यायोचित एवं है।

वादी वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये तथा साविक रिकार्ड व ोलदार टोडाभीम की और से प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार दावा डिकी करते हुये रामेश्वर ाज पि0 किशनलाल के स्थान पर रामेश्वर रामराज पि0 विशनलाल दर्ज करने के आदेश ावे। पैरोकार सरकार ने भी वादी का दावा बावत नाम दुरूस्ती उचित होने से साविक र्ड के अनुसार शुद्व किये जाने का कथन किया।

वादी वकील एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन करते हुये पत्रावली मे शामिल ावेजो का अवलोकन किया। ग्राम भौटवाडा की साविक जमाबन्दी सम्वत 2026–29 के ा संख्या 73, 74, 75, 77, 78, 159, 166, पर अंकित नोट नामांतकरण संख्या 201 से नलाल की विरासत के नामांतकरण से रामेश्वर, रामराज पि. विशनलाल आया है। वर्तमान बन्दी सम्वत 2074–77 मे खाता संख्या 313, 314, 316, 317, 318, 273, 274, 46, 86, . 278, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288 मे रामेश्वर रामराज पि0 ानलाल जाति मीना दर्ज रिकार्ड है। लिपकीय त्रुटी से नवीन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी र करते समय विशनलाल के स्थान पर किशनलाल दर्ज हो गया है। जिसे किशनलाल के न पर विशनलाल किया जाना उचित पाता हूँ।

अतः वादी का दावा बावत इन्द्राज दुरूस्ती डिकी किया जाता है। ग्राम भौटवाडा जमाबन्दी सम्वत 2074–77 मे खाता संख्या 313, 314, 316, 317, 318, 273, 274, 46, 86, , 278, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288 मे रामेश्वर, रामराज पि0 ानलाल जाति मीना के स्थान पर रामेश्वर, रामराज पि0 विशनलाल जाति मीना दर्ज करने आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टोडाभीम राजस्व रिकार्ड मे अंकन करे। पर्चा डिकी जारी

निर्णय आज दिनांक 29.10.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया

29/10/2020

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली

उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम जिला करौली